

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, में नव चयनित  
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)–विद्युत के पद पर नियुक्ति  
सम्बन्धी सेवा–शर्ते एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र,  
घोषणा–पत्र, शपथ पत्र एवं बन्ध पत्र आदि से  
सम्बन्धित प्रपत्र/परिशिष्ट

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत पद पर नियुक्ति की सेवा-शर्त

**1. प्रशिक्षण**

प्रशिक्षण की कुल अवधि 12 माह होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा उनके स्तर पर निर्धारित अवधि के अनुसार सम्पन्न होगा, शेष अवधि का क्रियात्मक प्रशिक्षण क्षेत्रीय इकाई में किया जायेगा। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा।

प्रशिक्षण अवधि में अभ्यर्थी के कार्यकलापों का मूल्यांकन निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा किया जायेगा जिसकी आख्या उनके द्वारा मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल), उ0प्र0 पा0का0लि0, तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियमितीकरण हेतु उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में मूल्यांकन सन्तोषजनक न पाये जाने पर प्रशिक्षण अवधि तीन माह बढ़ा दी जायेगी। इसके बाद भी सन्तोषजनक न पाये जाने पर विभाग द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के रूप में दी गयी नियुक्ति समाप्त भी की जा सकती है।

**2. परिलब्धियाँ**

कारपोरेशन की सन्तुष्टि के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण किये जाने के पश्चात् अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में व्यतीत की गयी प्रशिक्षण अवधि को आपके वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये आगणित किया जायेगा। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अभ्यर्थी का विनियमितीकरण अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर होने के पश्चात् ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी। प्रशिक्षण अवधि में आपका पे बैण्ड-2 वेतनमान रू0 9300-34800 सादृश्य ग्रेड पे 4200+400 स्पेशल फिटमेन्ट ग्रेड पे अनुमन्य होगा तथा महँगाई भत्ता एवं कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

**3. सेवा अनुबन्ध-पत्र**

(क) इस नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी एवं उसके प्रतिभू (गारेन्टर) जो प्रचुर संसाधनों से युक्त हो (उसके पिता अथवा निकट सम्बन्धी भी हो सकते हैं) को रू0 100/- मूल्य के नान-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम तीन वर्षों तक कारपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 3 वर्षों अर्थात् 04 वर्षों की कुल सेवा अवधि से पूर्व कारपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में अभ्यर्थी एवं उसके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 50,000/- (रूपये पचास हजार) मात्र की धनराशि कारपोरेशन को अदा करेंगे। अभ्यर्थी के प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से

कम न हो, से प्राप्त "हैसियत प्रमाण पत्र" भी आपको निष्पादित बन्ध-पत्र के साथ जाँच के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

- (ख) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन में प्रदेश के बाहर से नवनियुक्त अवर अभियन्ताओं को 50,000/- (पचास हजार) के बन्ध पत्र हेतु प्रतिभू (Guarantor), उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध न होने की स्थिति में आ रही कठिनाई के निवारण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है :-

यदि कोई अभ्यर्थी उ0प्र0 राज्य का निवासी नहीं है तो उसके अपने राज्य के किसी सम्बन्धी को अपना प्रतिभू बनाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वह एक नोटराइज्ड एफीडेविट (नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र) इस आशय से प्रस्तुत करे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाये जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है।

- (ग) यदि कोई अभ्यर्थी उ0प्र0 या उ0प्र0 के बाहर के राज्य का हो और उसका कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 50,000/- (पचास हजार) मात्र की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) *Chief Engineer (Hydel), UPPCL, Shakti Bhawan Extention, Lucknow (Current A/c No. : 0294002100061454)* के पक्ष में जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि अर्थात् कुल 04 (चार) वर्ष की अवधि के लिए जमा करने के बाद अभ्यर्थी को हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट : अभ्यर्थी सावधि जमा पत्र के पीछे अपना नाम तथा रोल नं0 अवश्य अंकित करें।

- (घ) सावधि जमा पत्र (FDR) जमा करने की दशा में भी अभ्यर्थी द्वारा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा। यदि सावधि जमा पत्र अभ्यर्थी के खाते से बनाये जाते हैं तो अनुबन्ध पत्र पर प्रतिभू के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सावधि जमा पत्र किसी अन्य के खाते से बनवाये जाते हैं तो प्रतिभू के स्थान पर उस खाता धारक के हस्ताक्षर किये जायेंगे।

4. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्त होने के दिनांक से कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम अभ्यर्थियों पर स्वतः लागू हो जायेंगे।
5. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्धाधीन होगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में प्रशिक्षण अवधि में अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुये अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
6. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में अभिलेखीय जाँच एवं उसके उपरान्त प्रथम तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को कोई भी यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7. प्रशिक्षण से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की दशा में प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है।
8. आपको राज्य में कहीं भी जैसा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाये एवं तय किया जाये, तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकता है।

**मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)**

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा-पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई चल/अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतदपश्चात कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की वार्षिक घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गयी है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है				अर्जित या पैतृक यदि अर्जित किया गया है तो उनके अर्जन का विवरण	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर, उपनगर	जनपद	गृह सं०					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपयुक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

**टिप्पणी:** अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बन्धक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गयी समझी जायेगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (शेयर) या जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतदपश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या जमा पूँजी लगाऊँगा/लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
 पूरा नाम : .....  
 पदनाम : .....  
 दिनांक : .....

(घ) उनके लिए जो हिस्से (शेयर) के स्वामी/स्वामिनी है या जिनकी अन्य जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट) है।

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूँजी रखता/रखती हूँ।

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्से का क्रय मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

### चल सम्पत्ति

(च) केवल उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतदपश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा में घोषणा करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
 पूरा नाम : .....  
 पदनाम : .....  
 दिनांक : .....

(छ) उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/स्वामिनी हूँ :-

क्र० सं०	सम्पत्ति का विवरण	क्रय धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गयी थी, यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की सं० तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य कर्मचारी के एक माह के वेतन से अधिक है।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

### जमा पूँजी (इनवेस्टमेन्ट)

क्र०सं०	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूँगा/करूँगी या अन्य कहीं पूँजी लगाऊँगा/लगाऊँगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा में कर दूँगा/दूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

निष्ठा की शपथ

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अधीन अपनी सेवा अवधि में मैं कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा व श्रद्धापूर्वक लगाये रखूँगा/रखूँगी तथा उसके कार्य-कलापों की पूर्णरूप से गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप में जानकारी में आयी किसी भी सूचना को प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री.....  
..... निवासी (पूरा पता) .....  
..... एतद्वारा घोषित  
करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं न तो किसी ऐसे राजनीतिक दल/संस्था का सदस्य हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।  
(ख) और न ही किसी ऐसे राजनीतिक दल अथवा संस्था से सहानुभूति अथवा सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित हो।  
(ग) और न ही भविष्य में उनसे कोई सम्बन्ध/मेलजोल अथवा सहानुभूति रखूँगा/रखूँगी।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/उपक्रम में  
कार्यरत न होने के दशा में

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .....  
के विभाग में सेवारत था/थी। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0  
के अधीन अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्य मुक्त कर  
दिया गया हूँ। कार्य मुक्ति प्रमाण-पत्र एतद्द्वारा संलग्न है।

हस्ताक्षर : .....  
पूरा नाम : .....  
पदनाम : .....  
दिनांक : .....

(अभ्यर्थी द्वारा रू0 100 /— के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध—पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .....  
पुत्र श्री ..... अस्थायी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु), जो  
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियुक्ति पत्र संख्या .....  
दिनांक ..... में वर्णित शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं (एतद्पश्चात् अवर  
अभियन्ता कहलायेगे) एवं श्री ..... पुत्र श्री .....  
..... निवासी .....  
..... (एतद्पश्चात् प्रतिभू कहलायेंगे एतद्द्वारा आबद्ध होते हैं कि)  
जिसमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं  
व्यक्तिगत रूप से (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को एतद्पश्चात् कारपोरेशन कहलायेगा)  
माँगे जाने पर रू0 50,000 /— (रूपये पचास हजार मात्र) देने के बन्धपत्रित होंगे।

दिनांक : .....

मास के दिन : .....

हस्ताक्षरित

(अभियन्ता के हस्ताक्षर)

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

यतः कारपोरेशन ने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार अस्थायी  
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि अवर अभियन्ता स्वयं  
अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके  
नियमित सन्दर्भ में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष (अर्थात् कुल  
चार वर्ष) तक नहीं छोड़ेगा, सम्बन्धी बन्ध—पत्र निष्पादित करेगा। जिसमें यह शर्त बाध्यकारी  
होगा कि यदि अवर अभियन्ता अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित  
सन्दर्भ में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष (अर्थात् कुल चार वर्ष)  
तक कारपोरेशन की सेवा को कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना न तो छोड़ेगा और न  
ही त्याग पत्र देगा। कारपोरेशन की सेवा छोड़ने अथवा त्याग पत्र देने की दशा में अवर  
अभियन्ता और/अथवा प्रतिभू माँगे जाने का अविलम्ब बन्ध—पत्र में वर्णित धनराशि को  
भुगतान करेंगे। उपरोक्त धनराशि के भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी  
नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा।

यदि कारपोरेशन उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार अवर अभियन्ता  
की सेवा समाप्त कर देता है तो यह बन्ध—पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

हस्ताक्षरित : .....

अवर अभियन्ता : .....

प्रतिभू : .....

## बन्ध-पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश

### प्रतिभूति बन्ध :

1. बन्ध-पत्र रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि रू0 100/- के स्टाम्प पेपर एक पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हों तो ऐसी दशा में दो या तीन पन्नों (शीट्स) जो कम मूल्य के हो परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 100/- हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अवर अभियन्ता और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट) सहित, यदि कोई हो, बन्ध-पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।
3. बन्ध-पत्र पर किसी प्रकार की कॉट-छॉट, परिवर्तन अथवा पुनर्लेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर अभियन्ता और प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साथियों का पूरा नाम, पता व पदनाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक जब बन्ध-पत्र मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध-पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध-पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अभियन्ता को स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध-पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अवर अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अवर अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने की तिथि भी होना चाहिए।
8. प्रतिभू उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसे कम से कम रू0 50,000/- के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण-पत्र हेतु बन्ध-पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्रमाण-पत्र जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए। प्रतिभू उपलब्ध न होने की दशा में वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) मात्र की सावधि जमा (Fixed Deposit) *Chief Engineer (Hydel), UPPCL, Shakti Bhawan Extension, Lucknow (Current A/c No. : 0294002100061454)* के पक्ष में, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि अर्थात् कुल 04 (चार) वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् बन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा बन्ध पत्र की वैधता/सावधि जमा अवमुक्त कर दी जायेगी।

यदि वर्तमान में प्रतिभू उत्तर प्रदेश में निवासी नहीं है तो वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) मात्र की सावधि जमा पत्र (Fixed Deposit) *Chief Engineer (Hydel), UPPCL, Shakti Bhawan Extension, Lucknow (Current A/c No. : 0294002100061454)* के पक्ष में, जो प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 03 (तीन) वर्षों की सेवा अवधि {अर्थात् कुल 04 (चार) वर्ष} तक की अवधि के लिए वैध होगी। तत्पश्चात् सावधि जमा अवमुक्त कर दी जायेगी।

सावधि जमा पत्र प्रस्तुत करने की दशा में भी बन्ध पत्र (परिशिष्ट-“च”) (नोटरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करना आवश्यक है। (प्रतिभू के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं)।

**उ०प्र० की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए  
जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .....निवासी ग्राम .....  
..... तहसील ..... नगर .....  
जिला ..... उ०प्र० राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं  
जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसाकि समय-समय पर संशोधित  
हुआ/संविधान अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा  
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में  
सामान्यता रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर : .....

पूरा नाम : .....

पदनाम : .....

(जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/अन्य  
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला  
समाज कल्याण अधिकारी)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति  
हैं/यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा  
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त  
है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
उक्त अधिनियम-1994 की अनुसूची-2 से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा  
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील .....  
..... जिला ..... में सामान्यता रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर : .....

पूरा नाम : .....

पदनाम : .....

(जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/अन्य  
वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला  
समाज कल्याण अधिकारी)

चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियो में)  
साक्ष्यांकन प्रपत्र

चेतावनी

- (क) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को दबाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिये जाने के लिये अयोग्य कर सकता है।
- (ख) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उनका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जायेगा।

अभ्यर्थी का  
पासपोर्ट साइज  
का नवीनतम  
फोटो

1. अनुक्रमांक ..... विधा (Branch) .....
2. (क) पूरा नाम (हिन्दी में) .....  
उपनाम यदि कोई हो .....
- (ख) पूरा नाम (अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) .....
3. पिता का पूरा नाम .....  
उपनाम यदि कोई हो .....  
व्यवसाय ..... वार्षिक आय .....
- माता का पूरा नाम .....  
उपनाम यदि कोई हो .....
- पत्नी/पति का पूरा नाम .....  
उपनाम यदि कोई हो .....
4. (क) लिंग (पुरुष/स्त्री) ..... (ख) विवाहित/अविवाहित .....
5. (क) जाति ..... (ख) उपजाति .....
6. (क) पिता की राष्ट्रियता .....
- (ख) माता की राष्ट्रियता .....
- (ग) पत्नी की राष्ट्रियता .....
- (घ) पति की राष्ट्रियता .....
7. जन्म स्थान (स्वयं का).....  
पति/पत्नी का (यदि विवाहित हो).....

8. गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो .....
9. (अ) स्थाई निवास का पूरा पता :-

विवरण	हिन्दी में	अंग्रेजी में (CAPITAL LETTER)
मकान/गृह संख्या		
गली/मोहल्ला		
नगर/ग्राम		
डाकघर		
थाना		
तहसील		
जनपद		
राज्य		
पिन कोड		

- (ब) वर्तमान/पत्राचार का पूरा पता :-

विवरण	हिन्दी में	अंग्रेजी में (CAPITAL LETTER)
मकान/गृह संख्या		
गली/मोहल्ला		
नगर/ग्राम		
डाकघर		
थाना		
तहसील		
जनपद		
राज्य		
पिन कोड		

10. निवास प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम .....  
पिन कोड .....
11. जाति प्रमाण पत्र निर्गमन के जिले/राज्य का नाम .....  
पिन कोड .....
12. टेलीफोन/मोबाइल संख्या : .....  
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

13. ई0मेल आई0डी0 : .....  
(परिवर्तन होने की दशा में सूचित करें)

14. पिछले पाँच वर्षों में पते :-

क्र0सं0	दिनांक से	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			
4			
5			

15. (क) जन्मतिथि (शब्दो/अंको में) यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल पास है तो प्रमाण-पत्र अनुसार उसका दिनांक अंकित करें .....

(ख) आयु (दिनांक 01 जनवरी, 2018) .....

16. शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने हाईस्कूल/समकक्ष जिन स्कूल या कालेजों में शिक्षा पाई हो उसका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित करें :-

क्र0 सं0	स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय का नाम व पूरा पता	शिक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा जो उत्तीर्ण की हो	उत्तीर्ण का वर्ष
1				
2				
3				

17. उस कार्यालय/फर्म का पूरा विवरण व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका/चुकी हो या कार्य कर रहा/रही हो :-

क्र0 सं0	पद का नाम व कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय/फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
		दिनांक से	दिनांक तक		

18. मोहल्ले के दो प्रतिष्ठित (जो सम्बन्धी न हों) व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हों :-

(I) नाम : .....  
व्यवसाय : .....  
पता : .....

(II) नाम : .....  
व्यवसाय : .....  
पता : .....

19. (क) क्या आपको कभी, गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिदण्डित, अर्थदण्ड दिया गया है या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा कितने परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रस्टीकेट किया है।

(ख) क्या इस साक्ष्यांकन प्रपत्र को भरते समय आपके विरुद्ध किसी न्यायालय, विश्वाविद्यालय या किसी शैक्षिक प्राधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

**टिप्पणी :-** (1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा, इत्यादि, व किसी भी न्यायालय, विश्वाविद्यालय/शैक्षिक प्राधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

### **अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र**

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनायें मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मुझे ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो कारपोरेशन के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनांक .....

स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर : .....

पूरा नाम : .....

घोषणा-पत्र

मैं .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... ग्राम .....  
..... पोस्ट ..... तहसील ..... जिला .....  
राज्य ..... एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि :-

(क) (1) मैं अविवाहित हूँ।

**अथवा**

(1) मैं विवाहित हूँ तथा मेरी/मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं है।  
मेरी पत्नी/मेरे पति का नाम ..... पुत्री/पत्री  
श्री ..... ग्राम ..... जिला .....  
..... राज्य ..... है।

(2) मेरा अपनी पत्नी/मेरा अपने पति से तलाक नहीं हुआ है और नहीं  
तलाक/सम्बन्ध-विच्छेद सम्बन्धी कोई कार्यवाही प्रक्रिया में है।

(3) यदि तलाक हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें।

(ख) कारपोरेशन में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कार्मिक से मेरा किसी तरह का कोई  
सम्बन्ध नहीं है। यदि है तो पूर्ण विवरण दें।

सम्बन्धी अधिकारी/कार्मिक से सम्बन्ध एवं उनका नाम ..... पदनाम/पता  
.....

(ग) मैं किसी सरकारी संस्था/बैंक/संस्थान अथवा अन्य से पूर्ण रूप से ऋण मुक्त हूँ  
यदि है तो पूर्ण विवरण दें .....

हस्ताक्षर : .....

पूरा नाम : .....

पद : .....

दिनांक : .....

(रु0 100.00 नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

**शपथ पत्र**

मैं ..... उम्र ..... पुत्र श्री .....  
..... निवासी .....  
..... जिला ..... सशपथ कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मैंने विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 5-2017/जे0ई0 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)-विद्युत के पद पर आवेदन किया था तथा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर मेरा चयन हो गया है।
2. मेरे द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी सही व सत्य है, उसमें कुछ भी छिपाया नहीं है।
3. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र पर लगी फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठा निशान तथा शैक्षिक एवं तकनीकी ज्ञान से सम्बन्धित संलग्न प्रमाण पत्रों में कोई भी तथ्य किसी भी समय असत्य पाया जाता है तो विभाग मुझे इस असत्य घोषणा/तथ्य के आधार पर मेरी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त करने तथा एफ0डी0आर0 रु0 50,000/- (रूपये पचास हजार) जब्त करने/बन्ध पत्र की धनराशि मुझसे विधि अनुसार वसूल किए जाने सहित वेतन एवं भत्तों के मद से मुझे भुगतान की गयी समस्त धनराशि की भी वसूली किए जाने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी के साथ विभाग मेरे विरुद्ध झूठा शपथ-पत्र देने के अपराध में विधिक कार्यवाही करता हूँ तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :

स्थान :

शपथी

नाम : .....

अनुक्रमांक सं0 : .....

पिता का नाम : .....

स्थायी पता : .....

.....

पत्राचार का पता : .....

.....

दूरभाष नं0 : .....